

जनगणना

प्रलिस के लयि:

जनगणना, कोवडि-19, भारतीय जनगणना अधनियम 1948, नरिवाचन कषेत्रों का परसिसमन, प्रवासन, PDS

मेन्स के लयि:

जनगणना, इसका महत्त्व और नीतनरिमाण में देरी के नहितारथ

चरचा में क्यों?

भारत में वर्ष 2021 की **जनगणना** को **कोवडि-19 महामारी** के कारण पछिले 150 वर्षों में पहली बार स्थगति करना पडा। महामारी समाप्त होने और सामान्य स्थिति में लौटने के बावजूद जनगणना अभी भी लंबति है।

- शुरुआत में इसे पूरी तरह से **डजिटल अभ्यास के रूप में प्रस्तावति** कयि गया था, जसिमें गणनाकारों द्वारा सभी सूचनाओं को एक मोबाइल एप में फीड कयि जाना था। **हालाँकि व्यावहारिक कठनाइयों के कारण बाद में इसे 'मक्स मोड' में संचालति करने का नरिणय लयिा गया या मोबाइल एप या पारंपरिक पेपर फॉर्म का उपयोग कयिा गया।**

नोट: हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)** द्वारा जारी **स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रपिर्ट 2023** के अनुसार, भारत वर्ष 2023 के मध्य तक चीन को पीछे छोड़कर दुनयिा का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।

जनगणना:

परभाषा:

- जनगणना** एक देश या कसिसी देश के एक सुपरभाषति हसिसे में एक वशिषिट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधति संग्रह, संकलन, वशि्लेषण और प्रसार की प्रकरयिा है।
- जनगणना, पछिले एक दशक में देश की प्रगतिकी समीक्षा, सरकार की चल रही योजनाओं की नगरिानी और भवषिय की योजना बनाने का आधार है।
- यह कसिसी समुदाय की तात्कालिक वविरण प्रदान करता है, जो कसिसी वशिष समय पर मान्य होता है।

चरण: भारत में जनगणना का संचालन दो चरणों में कयिा जाता है:

- मकानों की गणना:** इसके अंतरगत सभी स्थायी या अस्थायी भवनों का वविरण, उनके प्रकार, सुवधियों एवं संपत्तियों की गणना की जाती है।
- जनसंख्या गणना:** इसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय नागरिक या अन्य के बारे में अधिक वसितृत जानकारी शामिल की जाती है।
 - साथ ही उन सभी घरों की सूची तैयार की जाती है जनिका सर्वेक्षण कयिा जाता है।

आवृत्ति:

- पहली समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन द्वारा कराई गई थी। **तब से प्रत्येक दस वर्ष में एक बार नरिबाध रूप से जनगणना की जाती रही है।**
- भारतीय जनगणना अधनियम, 1948** जनगणना हेतु कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, **हालाँकि इसमें समय या आवधिकता का उल्लेख नहीं है।**
 - इसलयि भारत में **जनगणना संवैधानिक रूप से अनवार्य है लेकिन इसके लयि कोई संवैधानिक या कानूनी आवश्यकता नहीं है** और दशकीय रूप से आयोजति करने की आवश्यकता है।
 - कई देशों (उदाहरण के लयि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम) में 10 वर्ष की आवृत्ति का पालन कयिा जाता है, **लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे कुछ देश इसे प्रत्येक पाँच वर्ष में आयोजति करते हैं।**

नोडल मंत्रालय:

- दशकीय जनगणना गृह मंत्रालय के **महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय** द्वारा आयोजति की जाती है।

- वर्ष 1951 तक प्रत्येक जनगणना हेतु तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी।

जनगणना का महत्त्व:

■ प्राथमिक और प्रामाणिक डेटा:

- यह प्राथमिक और प्रामाणिक डेटा उत्पन्न करता है जो विभिन्न सांख्यिकीय विश्लेषणों का आधार बनता है। प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन, निर्णय लेने तथा विकास की पहल हेतु यह डेटा आवश्यक है।
- यह कानूनी आवश्यकता नहीं है बल्कि जनगणना की उपयोगिता ने इसे स्थायी व नियमित अभ्यास बना दिया है। इसका विश्वसनीय और अद्यतित डेटा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की प्रगतिके विभिन्न पहलुओं में उपयोग किये जाने वाले संकेतकों की यथार्थता को प्रभावित करता है।

■ परसिमीन:

- जनगणना के आँकड़ों का उपयोग नरिवाचन क्षेत्रों के **परसिमीन और सरकारी नकियाँ** में प्रतिनिधित्व के आवंटन के लिये किया जाता है।
- यह संसद, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय नकियों और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SCs) तथा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- STs) के लिये आरक्षण सिटों की संख्या निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - पंचायतों और नगर नकियों के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सिटों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात पर आधारित है।
 - यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में समावेशिता को बढ़ावा देता है।

■ व्यवसायों के लिये बेहतर पहुँच:

- जनगणना के आँकड़े व्यावसायिक घरानों और उद्योगों के लिये उन क्षेत्रों में व्यवसाय की पहुँच को मज़बूत करने तथा योजना बनाने के लिये भी महत्त्वपूर्ण हैं जहाँ अब तक उनकी पहुँच नहीं थी।

■ अनुदान देना:

- **वित्त आयोग** जनगणना के आँकड़ों से उपलब्ध जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है।

वलिंबति जनगणना के परिणाम

■ नीति निर्धारण में चुनौतियाँ:

- नशित कालावधि में होने वाली जनगणना के समक्ष आने वाली बाधाओं के परिणामस्वरूप ऐसा डेटा उत्पन्न हो सकता है जिसकी तुलना पूर्ववर्ती जनगणना के आँकड़ों से नहीं की जा सकती, इससे विभिन्न रुझानों का विश्लेषण करने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- विश्वसनीय डेटा का अभाव (लगातार बदलते मापदंडों के संदर्भ में 12 वर्ष पुराना डेटा विश्वसनीय नहीं होता) भारत के प्रत्येक संकेतक में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने और सभी प्रकार की विकासोन्मुख पहलों की प्रभावकारिता एवं दक्षता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

■ राजनीतिक भ्रंशिता:

- जनगणना में वलिंबता का प्रभाव विभिन्न शासी नकियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सिटों हेतु आरक्षण पर पड़ेगा।
 - वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग जारी रहने के परिणामस्वरूप सिटों का आरक्षण त्रुटिपूर्ण हो सकता है।
- इससे विशिष्ट रूप से उन कसबों और पंचायतों में समस्या पैदा हो सकती है जहाँ पछिले दशक में जनसंख्या संरचना में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है।

■ कल्याणकारी उपायों को लेकर अवशिष्टसनीय अनुमान:

- वस्तुतः वलिंबता की स्थिति उन सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावित करेगी, जो नीति और कल्याणकारी उपायों को निर्धारित करने के लिये जनगणना के आँकड़ों पर निर्भर रहते हैं, साथ ही उपभोग, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर किये गए अन्य सर्वेक्षणों से अवशिष्टसनीय अनुमान प्राप्त होंगे।
 - सरकार के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** से कम-से-कम 100 मिलियन लोगों के बाहर होने की संभावना है क्योंकि लाभार्थियों की संख्या की गणना के लिये जनसंख्या के आँकड़े वर्ष 2011 की जनगणना से संबद्ध हैं।

■ मकानों की गणना पर प्रभाव:

- मकानों की गणना पूर्ण होने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है, क्योंकि इसके लिये गणनाकारों को आवासों का पता लगाने और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। भारत में मकानों की गणना विशिष्ट रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश में एक मज़बूत पता प्रणाली का अभाव है।
- जनगणना में वलिंब का अर्थ है कि उक्त सूची पुरानी हो जाती है क्योंकि समय के साथ घरों, पते और जनसांख्यिकी में परिवर्तन होता रहता है।
 - इसके परिणामस्वरूप अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो बाद की जनसंख्या गणना और आँकड़ों के संग्रह के लिये कम विश्वसनीय आधार बन सकता है।

■ प्रवासन के आँकड़ों का अभाव:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अप्रचलित आँकड़े प्रवासन की संख्या, कारण और प्रतिरूप जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में असफल रहे।
 - कोवडि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों द्वारा शहरों को छोड़कर अपने गाँव वापस जाने के दृश्य ने उनकी चुनौतियों को प्रदर्शित किया।
- फँसे हुए प्रवासियों को खाद्य राहत और परिवहन सहायता तथा अन्य आवश्यकताओं को लेकर सरकार के पास जानकारी का अभाव

था।

- आगामी जनगणना से बड़े शहरों के अतिरिक्त छोटे शहरों में बढ़ता प्रवासन मौजूदा संसाधनों पर अधिक दबाव को इंगित करता है, जो प्रवासियों के लिये वशिष्ट स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की ज़रूरतों पर प्रकाश डालती है।
- यह डेटा प्रवासियों और उनके नवास स्थानों के लिये आवश्यक समर्थन और सेवाओं की पहचान करने में मदद कर सकता है।

आगे की राह

- सरकार को जनगणना को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- डेटा संग्रह प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु प्रौद्योगिकी और नवीन तरीकों का लाभ उठाने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- सरकार को जनगणना का सुचारु और कुशल संचालन सुनिश्चित कर संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिये।
- सटीक डेटा, सूचित नीतित्वात्मक निर्णयों, प्रभावी शासन और वभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिये जनगणना का समय पर आयोजन होना आवश्यक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2009)

1. भारत की जनसंख्या का घनत्व वर्ष 1951 की जनगणना और वर्ष 2001 की जनगणना के बीच तीन गुना से अधिक बढ गया है।
2. भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर (घातीय) वर्ष 1951 की जनगणना और वर्ष 2001 की जनगणना के बीच दोगुनी हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)